नाजिरा बनाम [illegible]

केस मु.नं. - 44/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
15.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वांछित जाँच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1634 / भू.अ. / 2025 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 25.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
25.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 29.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
29.07.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय / आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार पेश होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
44 / 2025	2025 / 113	01.04.2025	29.07.2025

उनवान प्रकरण

1. जगदीश पुत्र गोमाराम आयु ... साल
2. भागीरथ पुत्र गोमाराम आयु... साल
3. मोहन पुत्र गोमाराम आयु..... साल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादीगण–

बनाम्

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

वाद पत्र बाबत् इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:51 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.0900

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर, 442 रकबा 0.06 हैक्टर, 443 रकबा 0.11 हैक्टर, 445 रकबा 0.08 हैक्टर, 447 रकबा 0.91 हैक्टर, 695 रकबा 1.53 हैक्टर, 725 रकबा 0.03 हैक्टर, 953 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के हिस्सा 17/63 – 17/63 के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम गोविन्द राम चला आ रहा है जबकि वादीगण के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात् राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादीगण के पिता का नाम गोमाराम नाम दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम गोविन्दराम दर्ज होने के कारण एंव आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र आदि अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात् में वादीगण के पिता का नाम गोमाराम दर्ज होने के कारण वादीगण उक्त भूमि पर मिलने वाले सरकारी अनुदान सहायता आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है जबकि गोविन्दराम एंव गोमाराम एक ही व्यक्ति होकर वादीगण का पिता है। उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम गोविन्दराम की जगह भोमाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना न्यायहित में हैं। वादी ने उक्त भूमि की खातेदारी दुरूस्त करवाने के लिए दिनांक 20.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहे जाने पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की पारित की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.0900 हैक्टर, 442 रकबा 0.06 हैक्टर, 443 रकबा 0.11 हैक्टर, 445 रकबा 0.08 हैक्टर, 447 रकबा 0.91 हैक्टर, 695 रकबा 1.53 हैक्टर, 725 रकबा 0.03 हैक्टर, 953 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में वादीगण के नाम दर्ज चले आ रहे हिस्सा 17/63 – 17/63 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम गोविन्दराम की जगह गोमाराम दुरूस्त किया जाकर वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्त लिखानुसार अंकित कागजात राजस्व आफिस किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने दावे में किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1654/भू.अ./2025 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का कुटाला से जांच करवाई जाकर अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के अनुसार राजस्व ग्राम कुटाला के खाता संख्या 168 में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 17/69, भागीरथ पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 17/69, मोहन पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 17/69 जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। उक्त नाम में यह परिवर्तन नामान्तरकरण संख्या 193 से गोविन्दराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट की विरासत से जगदीश, मोहन पुत्रगण गोविन्दराम दर्ज हुआ था। मुताबिक सरपंच रिपोर्ट गोविन्दराम पुत्र मंगलाराम व गोमाराम पुत्र मंगलाराम दोनो एक ही व्यक्ति था। इस गांव में इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही होने बाबत अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है। प्रकरण में वकील वादीगण ने वाद पत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील [illegible] सम्पूर्ण मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की [illegible] 2042 आधार वर्ष की जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2049–2052, 2053–2056, 2057–2060, 2061–2064, 2065–2068, 2069–2072, 2070–2073 भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, सरपंच, ग्राम पंचायत फुटाला द्वारा नाम के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वादी, पटवारी हल्का फुटाला की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादपत्र मे अंकित कृषि भूमियों वादीगण के नाम हिस्सा 17/63 – 17/63 की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है, जबकि अन्य दस्तावेजात यथा राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, सरपंच, ग्राम पंचायत फुटाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता का नाम गोमाराम अंकित होना प्रकट होता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत फुटाला ने अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र में गोविन्द राम पुत्र मंगलाराम व गोमाराम पुत्र मंगलाराम जाट एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित किया है। गोविन्दराम पुत्र मंगलाराम व गोमाराम पुत्र मंगलाराम दोनों एक ही व्यक्ति था। इस गांव मे इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होने बावत तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है। वादीगण के पिता गोविन्द राम पुत्र मंगलाराम व गोमाराम पुत्र मंगलाराम जाट एक ही व्यक्ति का नाम होना रिकॉर्ड से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता का नाम गोविन्दराम के स्थान पर गोमाराम शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण [illegible] वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरूरती राजस्व रिकार्ड एवं [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 441 [illegible] 0.0900 हैक्टर, 442 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

0.06 हैक्टर, 443 रकबा 0.11 हैक्टर, 445 रकबा 0.08 हैक्टर, 447 रकबा 0.91 हैक्टर, 695 रकबा 1.53 हैक्टर, 725 रकबा 0.03 हैक्टर, 953 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्टर अवस्थित ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में वादीगण के नाम दर्ज चले आ रहे हिस्सा 17/63 – 17/63 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम गोविन्दराम की जगह गोमाराम घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)